



बिहार सरकार  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)  
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार  
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC/60/2021-541

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 31/07/2023

विषय- श्रीमती निशि कुमारी द्वारा सारण जिलान्तर्गत रामपुर मौजा के खाता संख्या-152, 45, प्लॉट संख्या-546, 547, थाना संख्या-391, थाना-खैरा (छपरा) में खैरा चौक-मरहोरा पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.013875 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/141322/2021/993, दिनांक 22.03.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 07.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है-

| क्र० सं० | भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 22.03.2023 में निहित कंडिका                                                                                                                                                                                        | अनुपालन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A:       | Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1        | The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 8,65,161.00 (रु० आठ लाख पैंसठ हजार एक सौ एकसठ) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 15062199141322803, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 07.07.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- AXSK231880016405 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                               | The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.013875 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated ..... | NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.013875 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 13,289/- (तेरह हजार दो सौ नवासी रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 15062199141322803, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 07.07.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- AXSK231880016405 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। |
| 3                                                                                                                                                                                                                                               | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal .....                                                                                   | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 07.07.2023 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                               | The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval .....                                                                                                    | जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                               | Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 .....                                                                                                                   | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                               | The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> )                                                                                                    | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage - II approval:</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.                                                                                                                                               | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                               | The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall .....                                                                           | 100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                               | Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble .....                                                                                           | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                               | The approach road to petrol pump/fuel station should be as per .....                                                                                                                                                     | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a                                                                                                                                                                                                                                               | Fuel station should generally be part of rest area complex having .....                                                                                                                                                  | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b                                                                                                                                                                                                                                               | Suitable signs and markings showing the location of the fuel .....                                                                                                                                                       | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c                                                                                                                                                                                                                                               | Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with .....                                                                                                                                                      | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                                          |                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| d   | Suitable plantations should be raised by the user agency along .....                                     | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 5   | Wherever possible and technically feasible, the User Agency .....                                        | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 6   | The User Agency shall ensure that the loaboures and staff engaged in construction acitivity do not ..... | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 7   | The lay out plan of the proposal shall not be changed without .....                                      | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 8   | The forest land shall not be used for any purpose other than .....                                       | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| (a) |                                                                                                          |                                                                                               |
| (b) | The period of diversion under this approval shall be .....                                               | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| (c) | The forest land proposed to be diverted shall under .....                                                | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 9   | Any other conditions that the Ministry of Environment, .....                                             | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.013875 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

दिनांक- 31/07/2023

ज्ञापांक- FC/60/2021-541

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान / वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा एवं श्रीमती निशि कुमारी, पति-श्री जय शंकर गीरी, ग्राम-रामपुर मथिया, थाना+पोस्ट-खैरा, जिला-सारण, पिन-841414 को सूचना हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

## Proforma

|    |                                                                                                   |                                                                              |             |                                    |                   |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|------|
| 1  | Name of Regional Office                                                                           | Eastern Region, Ranchi                                                       |             |                                    |                   |      |
| 2  | State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates                                       | Bihar/Saran/ Saran Forest Division, Chhapra.                                 |             |                                    |                   |      |
| 3  | Name of User Agency nature of proposal                                                            | Smt. Nishi Kumari/HPCL Retail Outlet                                         |             |                                    |                   |      |
| 4  | Extent of forest area involved                                                                    | 0.013875 Ha.                                                                 |             |                                    |                   |      |
| 5  | Whether Original, or extension                                                                    | Original                                                                     |             |                                    |                   |      |
| 6  | If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify | -NA-                                                                         |             |                                    |                   |      |
| 7  | Date of 1st stage Clearance                                                                       | 22.03.2023                                                                   |             |                                    |                   |      |
| 8  | <b>Extent of CAMPA charges head wise viz.</b>                                                     |                                                                              |             |                                    |                   |      |
|    | a. Compensatory Afforestation                                                                     | 8,65,161.00                                                                  |             |                                    |                   |      |
|    | b. Additional CA                                                                                  | -NA-                                                                         |             |                                    |                   |      |
|    | c. Penal CA                                                                                       | -NA-                                                                         |             |                                    |                   |      |
|    | d. Catchment Area Treatment                                                                       | -NA-                                                                         |             |                                    |                   |      |
|    | e. Wildlife Management Plan                                                                       | -NA-                                                                         |             |                                    |                   |      |
|    | f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas                | -NA-                                                                         |             |                                    |                   |      |
|    | g. Net present Value                                                                              | 13,289.00                                                                    |             |                                    |                   |      |
|    | h. Any other charges/Levies (Pl Specify)                                                          | -NA-                                                                         |             |                                    |                   |      |
| 9  | Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph                          | S.No                                                                         | MODE Remtt. | UTR No. & Date                     | Amount            | Head |
|    |                                                                                                   | 1                                                                            | e-challan   | AXSK231880016405<br>dt. 07.07.2023 | 13,289/-          | NPV  |
|    |                                                                                                   | 2                                                                            |             |                                    | 8,65,161/-        | CA   |
|    |                                                                                                   | <b>Total-</b>                                                                |             |                                    | <b>8,78,450/-</b> |      |
|    |                                                                                                   |                                                                              |             |                                    |                   |      |
| 10 | Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance                            | As above.                                                                    |             |                                    |                   |      |
| 11 | Bank in which deposited, with date of deposition.                                                 | All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 07.07.2023 |             |                                    |                   |      |
| 12 | Any other remarks                                                                                 |                                                                              |             |                                    |                   |      |

  
**(Arvinder Singh)**  
 Signature of APCCF (CAMPA)-  
 cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

सेवा में,

38

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना।

दिनांक:- 07/07/23

विषय:-

श्रीमती निशी कुमारी द्वारा सारण जिलान्तर्गत रामपुर मौजा के खाता सं०-152, 45, प्लॉट सं०-546, 547, थाना नं०-391, थाना- खैरा, (छपरा) में खैरा चौक-मरहोरा पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.013875 है, वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक-FP/BR/Others/141322/2021/993 दिनांक-22.03.2023 द्वारा दो भाग में Stage-1 की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग-A में 1 से 6 एवं भाग-B में 1 से 9 शर्तें अधिरोपित की गयी हैं। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रही हूँ:-

भाग-A

हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु०-8,65,161/-रु० मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिए निर्धारित, BIHAR CAMPA A/C No-15062199141322803, Union Bank of India, FCS Center, 21/1, III Floor Jelitta Towers Mission Road, Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक-07.07.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR.No-AXSK231880016405 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूल प्रति संलग्न)।

- NPV के मद में मेरे द्वारा 0.013875 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु०-9,57,780/-रु० लाख प्रति हे० की दर से कुल रु०-13289 बिहार राज्य के लिए निर्धारित, BIHAR CAMPA A/C No-15062199141322803, Union Bank of India, FCS Center, 21/1, III Floor Jelitta Towers Mission Road, Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक-07.07.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR.No-AXSK231880016405 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूल प्रति संलग्न)।
- मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को E-challan के माध्यम से फंड Union Bank of India, FCS Center, 21/1, III Floor Jelitta Towers Mission Road, Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक-07.07.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR.No-AXSK231880016405 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूल प्रति संलग्न)।
- जिला पदाधिकारी, छपरा द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
- मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
- मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूँगी।

2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु0-8,65,161/-लाख रु0 बिहार राज्य के लिए निर्धारित, BIHAR CAMPA A/C No-15062199141322803, Union Bank of India, FCS Center, 21/1, III Floor Jelitta Towers Mission Road, Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक-07.07.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR.No-AXSK231880016405 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूल प्रति संलग्न)।

3. मेरे द्वारा वनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।

4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

8(a). इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अंतिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-सथोक्त।

विश्वासभाजन

Nishi Kumari

(निशी कुमारी)

ग्राम-रामपुर मढिया,

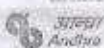
पो0+थाना-खैरा

जिला-सारण (छपरा)

पिन कोड-841414

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-07-2023

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Agency Name.     | NISHI KUMARI                                         |
| Application No.  | 199141322803                                         |
| MoEF/SG File No. | FP_BR_OTHERS_141322_2021                             |
| Location.        | BIHAR                                                |
| Address.         | Village-Rampur Mathiya,<br>PO-Khaira, PS-KhairaSiwan |
| Amount(in Rs)    | 878450/-                                             |

Amount in Words :Eight Lakh Seventy-Eight Thousand Four Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiary Name:    | BIHAR CAMPA                                                                                             |
| IFSC Code:           | UBIN0996335                                                                                             |
| Pay to Account No.   | 15062199141322803<br>Valid only for this<br>challan amount.                                             |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>FCS Centre,21/1, III Floor,<br>Jelitta Towers, Mission<br>Road, Bengaluru-560027 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan even after 7 working days, then kindly mail a copy of your id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ubin0903710@unionbankofindia.bank



AXSK23 88001 6405

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु

FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली

द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या 593 दिनांक 8-9-2021

प्रमाणित किया जाता है कि सारण जिला में प्रयोक्ता एजेंसी निशी कुमारी, मौजा-रामपुर, थाना-खैरा, खेसरा नं०-546, 547, खेसरा नं०-152, 45, थाना नं०-391, अंचल-नगरा, जिला-सारण (छपरा-मदौरा पथ के किनारे) द्वारा MPCL का पेट्रोल पंप (रिटेल आउटलेट) के रैखिक परियोजना निर्माण 0.013875 हे० वन भूमि में पड़ने वाले पथ पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि 0.013875 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा के पत्रांक-854 दिनांक-10.05.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-474 दिनांक-28.06.2021 के द्वारा उल्लेख किया गया है कि 2011 की जनगणना में उक्त ग्राम में अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी शून्य है।

सदालोक में प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (मंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के माव में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
सारण वन प्रमंडल, छपरा

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,  
सारण, छपरा

अपराध प्रहरी,  
सारण, छपरा

18  
8-9-21  
जिला पदाधिकारी,  
सारण, छपरा

ज्ञापक 593 दिनांक 8-9-2021

प्रतिलिपि- वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,  
सारण, छपरा  
31/8/21

18  
8-9-21  
जिला पदाधिकारी,  
सारण, छपरा